हिंदुत्व और अल्पसंख्यक

मुस्लिम तुष्टिकरण का सच

मुस्लिम समुदाय के अभिजन विभाजन के साथ भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। मुख्य रूप से गरीब मुसलमान, कुछ व्यावसायिक लोग और व्यापारी यहां रह गए। इससे मुसलमानों की दशा और भी खराब हो गई। मुसलमान रूढ़िवादी आगे आ गए। उन्हें इस समुदाय की ''वास्तविक'' समस्याओं से कुछ लेना-देना नहीं है, यह समुदाय मुख्य रूप से गरीब और पिछड़ा हुआ है। रुढ़िवादी तत्वों के शिकंजे में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को समझने के लिये सरकार ने सच्चर कमेटी की नियुक्ति की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट चौंकानेवाली है। इसके अनुसार भारत में उनकी आर्थिक परिस्थिति पहले से बिगड़ी है और समाज के सब क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व पहले से खराब होता जा रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुसलमानों को नौकरियों में जगह नहीं मिली है। निम्न स्तरीय नौकरियों में भी थोड़ी ही जगह मिली है। निम्नस्तरीय नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है, करीब 6 प्रतिशत। जैसे ही हम उच्चस्तरीय नौकरियों पर जाते हैं, यह प्रतिशत कम होकर 0.5 प्रतिशत रह जाता है, जबकि जनसंख्या में उनका प्रतिनिधित्व 13.4 प्रतिशत है।

ग्रुप	संभावित संख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	1992 में मुस्लिम प्रतिनिधित्व (%)
ए	77,680	2.05	1.61
बी	1,74,675	4.63	3.00
सी	23,87,625	63.22	4.41
डी	11,36,686	30.09	5.12
योग	37,76,666	100.00	

स्रोत : उमर खालिदी, मुस्लिमज़ इन द इंडियन इकोनामी, नई दिल्ली, थ्री एसेज़ कलेक्टिव, पृ. 45

केंद्र सरकारी कर्मचारियों में मुसलमानों का प्रतिशत (हज़ारों में)

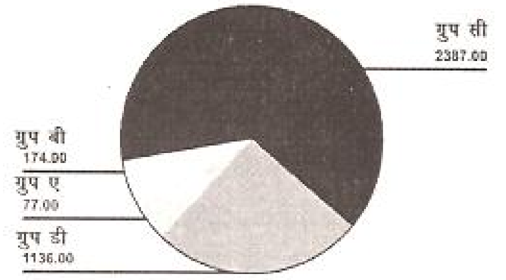

स्रोत : एक्शन एड, जहांगीराबाद मीडिया इंस्टीट्यूट, और इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक दशा पर रिपोर्ट

14वीं लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व

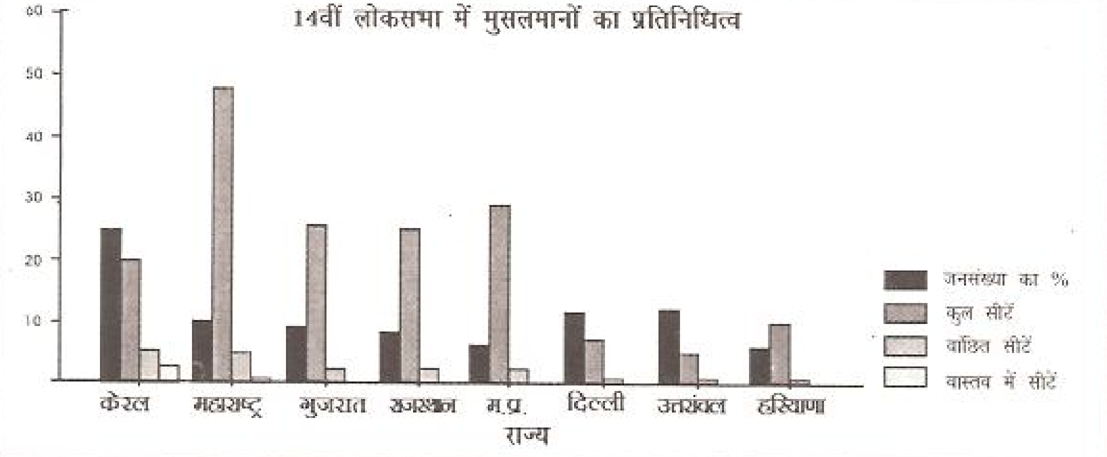

सच्चर कमेटी रिपोर्ट का सार

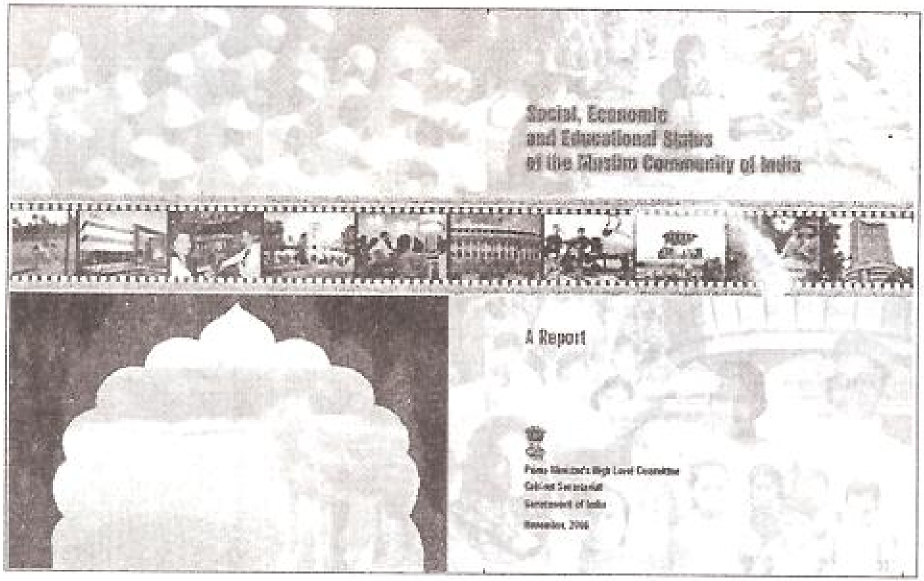

मुसलमानों को ज्यादातर स्वरोजगार पर आश्रित होना पड़ता है। बैंक सुविधाएँ भी उन्हें कम मिलती हैं। सांप्रदायिक ताकतों ने पिछले वर्षों में यह झूठा प्रचार किया है कि मुसलमानों ने निर्वाचकों में अपने बहुमत को बनाए रखने के लिए अपनी जनसंख्या में वृद्धि की है। इस रणनीति के तहत उन्होंने आधा सच बोला है। अफवाह फैलाने वाली तकनीकों का प्रयोग करके इस झूठ को लोगों के मन में बैठाया है।

सबसे पहले हम इस झूठ को लें कि मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज्यादा है और वे हिंदुओं से अधिक हो जाएंगे। जनगणना सर्वेक्षण इस आम विश्वास के विपरीत है। सर्वेक्षणों में धर्म के बारे में भी सूचना दी जाती है। 1971 के सर्वेक्षण के अनुसार हिंदू 82.7 प्रतिशत और मुसलमान 11.2 प्रतिशत थे। 1991 की जनगणना में हिंदू 82.6 प्रतिशत और मुसलमान 11.4 प्रतिशत थे। 2001 की जनगणना में मुसलमानों का प्रतिशत 13.42 है, पर यह कश्मीर के आंकड़ों को शामिल करने के कारण है। पहले कश्मीर को शामिल नहीं किया जाता था। (मलयाली मनोरमा, 1992) वृद्धि पैटर्न में जो मामूली अंतर आया है वह सामाजिक, आर्थिक कारणों से है, धार्मिक कारणों से नहीं। कुल मिलाकर ये आंकड़े (धर्मवार) ''स्थिर'' जनसंख्या का संकेत देते हैं। यदि यह अंतर जारी भी रहे तो भी मुस्लिम जनसंख्या अगली शताब्दी तक हिंदू जनसंख्या से अधिक नहीं हो सकती। इसके विपरीत यदि मौजूदा वृद्धि दरों का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होगा कि 1961-71 और 1971-81 के दौरान हिंदू जनसंख्या वृद्धि 23.71 से बढ़कर 24.42 हो गई जबकि इसी अवधि में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि 30.84 से घटकर 30.20 रह गई।

बहुपत्नित्व:जनसंख्या वृद्धि-1

पैदा होने वाले बच्चों की संख्या प्रजनक आयु वर्ग स्त्रियों की संख्या पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो इस बात का कोई महत्व नहीं है कि किसी पुरुष की एक या अधिक पत्नियां हैं क्योंकि बच्चों की संख्या स्त्रियों की संख्या पर निर्भर करती है। बहुविवाह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्त्रियों की संख्या का संबंध यदि किसी से है तो कन्या भ्रूण हत्या या बालिका वध की सामाजिक प्रथा या दहेज के लिए ''दुल्हन को जला'' देने से है। दूसरे पुरुष/स्त्री अनुपात को देखते हुए एक पुरुष मुसलमान के लिए चार शादियां करने की ''विलासिता'' संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए उसमें से तीन चौथाई (75 प्रतिशत) को अविवाहित रहना पड़ेगा। 2001 में मुसलमानों का पुरुष/स्त्री अनुपात 936 था और हिंदुओं का इन आंकड़ों को देखते हुए सभी मुसलमान पुरुषों की चार-चार पत्नियों की बात समझ में नहीं आती।

बहु-विवाह के बारे में इससे कुछ समय पूर्व के आंकड़े (1961 की जनगणना रिपोर्ट) मुस्लिम बहु-विवाह के मिथक को ध्वस्त कर देते हैं। स्थिति में बदलाव के कोई संकेत नहीं हैं। इसके अनुसार बहु-विवाह सबसे ज्यादा आदिवासियों (15.25 प्रतिशत) में है। इसके बाद बौद्धों (7.9 प्रतिशत), जैनों (6.72 प्रतिशत) और हिंदुओं (5.80 प्रतिशत) का नंबर आता है। मुसलमानों में यह 5.70 प्रतिशत है। गोखले संस्थान, पुणे की मल्लिका बी मिस्त्री, द्वारा किए गए अनुसंधान में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ''हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों में बहु विवाह के कोई प्रमाण नहीं हैं।'' ''हिंदुओं और मुसलमानों के शादी-ब्याह के तरीकों में काफी समानता है। हिंदू और मुसलमान दोनों में बहु-विवाह की घटनाएं कम हो रही हैं।''

इस सिलसिले में धर्म पर आधारित जनन क्षमता पैट्रनों पर एक नजर डालना दिलचस्प होगा। मुस्लिम समुदाय के भीतर भी इन पैट्रनों में अंतर है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्तर के अनुरूप अंतर है। जिनका सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर अच्छा है वहां जनसंख्या वृद्धि कम है। जहां यह स्तर खराब है वहां

बहुपत्नित्व:जनसंख्या वृद्धि-2

जनसंख्या वृद्धि अधिक है। यह क्षेत्रीय, शहरी और ग्रामीण वितरण के अनुरूप भी है। केरल के मालाबार क्षेत्र में मुसलमान 40 प्रतिशत हैं। वहां जनसंख्या वृद्धि बहुत कम है। 15 प्रतिशत मुसलमान आबादी वाले उत्तर प्रदेश में उनकी जनसंख्या वृद्धि इससे अधिक है। इसका विपरीत उदाहरण मुस्लिम बहुल कश्मीर राज्य है। यहां हिंदुओं की प्रजनन दर मुसलमानों के मुकाबले लगभग दुगुनी है। यहां जन्मदर उ. प्र. (36.5), म.प्र. (36.4), बिहार (34.8) और राजस्थान (33.4) के मुकाबले कम अर्थात् 31.4 (प्रति हजार) थी।

हमें यह समझ लेना चाहिए कि देश के शेष हिस्से के मुकाबले शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से उन्नत राज्य जैसे कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में जनसंख्या वृद्धि मुसलमान और हिंदू दोनों के मामले में ही कम है। आइए शहरी और ग्रामीण विभाजन को भी देखें। मुस्लिम समुदाय का एक तिहाई हिस्सा शहरी क्षेत्र के एकदम निम्न स्तर वाले पिछड़े इलाकों में रहता है। उनमें गरीबी (हिंदुओं के मुकाबले) 17 प्रतिशत अधिक है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले मुसलमानों का अनुपात 45 प्रतिशत है। वे सामान्यतः आधुनिक नगरों के पुराने इलाकों में रहते हैं जहां सफाई की दशा खराब रहती है और स्वास्थ्य तथा बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। साथ ही बार-बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा के कारण वे 'डरे-डरे' रहते हैं इसलिए उनमें सुधार लाना दिक्कत भरा काम बनता जा रहा है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के कई निर्धारक तत्व हैं। इस दृष्टि से धर्म की भूमिका यदि कुछ है तो वह बहुत कम है। सामाजिक, आर्थिक सुधार और शिक्षा से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। असुरक्षा की भावना, खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार नियोजन (परिवार कल्याण शब्द इसके लक्ष्यों के ज्यादा अनुरूप है) के प्रयासों को विफल कर देता है। इन तत्वों का धर्म के मुकाबले कहीं अधिक महत्व है। इस जटिल स्थिति में संघ परिवार ने नारा दिया है "हम दो, हमारे दोः वो पांच उनके पच्चीस" हिंदू दक्षिणपंथियों द्वारा अपनाया गया यह गोएबेल्स वाला तरीका सच्चाई से कोसों दूर है।

धर्मपरिवर्तन और ईसाई विरोधी हिंसा

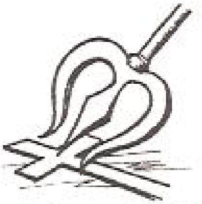

वर्ष 1998-99 के दौरान बहुत से पादरियों को बेइज्जत किया गया था (फादर क्रिस्तुदस को दुमका में नंगा घुमाया गया)। फादर ग्राहम स्टेन्स को उनके 9 और 7 वर्ष के पुत्रों के साथ जीवित जला दिया गया। हमलों से बहुत से गिरजाघर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई जगहों पर बाइबलों को जलाया गया है और ननों के साथ बलात्कार किया गया। इसके लिए ईसाई विरोधी प्रचार किया गया है जिसके अनुसार ईसाइयत विदेशी धर्म है, उनकी मिशनरी गतिविधियां धर्म परिवर्तन कराने का बहाना है। उनके स्कूल और अस्पताल भी यही काम करते हैं। इस प्रक्रिया की योजना पोप और ईसाई एजेंसियों द्वारा बनाई जा रही है। उनकी नजर पूरे देश पर है। इससे हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे।

सामाजिक कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गई जांचों से जाहिर होता है कि इन हमलों के पीछे संघ परिवार से जुड़े संगठन हैं। ये भाजपा शासित राज्यों विशेषकर गुजरात में ज्यादा हो रहे हैं।

ईसाई मिशनरियां जहां संभव हो गिरजाघर, अस्पताल और स्कूल खोल रही हैं। उन्होंने साक्षरता और अपने धर्म के प्रचार के लिए भारतीय भाषाएं सीखी हैं, प्रिंटिंग प्रैस लगाई हैं तथा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य छापा है। अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं को अपनाया है। गिरजाघरों ने भी कई स्थानीय रिवाजों को अंगीकार किया है। लगभग दो हजार वर्षों से ईसाइयों की मौजूदगी और 200 वर्षों तक ब्रिटिश राज के बावजूद 1981 में ईसाई आबादी 2.6 प्रतिशत और 2001 में 2.30 प्रतिशत थी।

इस सबके बावजूद 'उनकी' आबादी के हिंदू आबादी से ज्यादा हो जाने के खतरे की बात लगभग एक साल पहले उठी। ईसाई विरोधी बात मुसलमानों को पूरी तरह से डरा और दबा दिए जाने का 'लक्ष्य' पूरा हो जाने के बाद उठाई गई है। संघ परिवार ने यह समझ लिया है कि यदि उसे अपने बल पर सत्ता में आना है तो उसे इस निर्वाचक बाधा को खत्म करना होगा। उसे नया वोट बैंक तलाशना होगा। आदिवासी क्षेत्र में इसकी संभावनाएं हैं। संघ परिवार ने यह भी समझ लिया है कि ईसाई बनने के बाद आदिवासी शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। इससे 'यथास्थिति', जोकि संघ परिवार राजनीति का मुख्य आधार है, को खतरा पैदा हो जाएगा। संघ परिवार ने मिशनरियों को डराने-धमकाने का जो काम शुरू किया है उसके पीछे ये दो तत्व ही काम कर रहे लगते हैं। चाल यह है इस प्रकार के 'सबक' के बाद वे दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाएंगे। इससे आदिवासियों को अपनी ओर खींचने का संघ परिवार का काम आसान हो जाएगा।
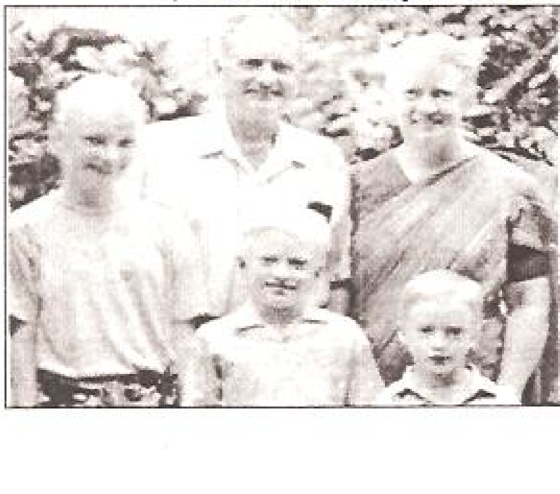
पैस्टर स्टेंस परिवार के साथ | जीप जलाई गई